‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना’

चर्चा में क्यों?

20 मार्च, 2023 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने राज्य के अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिये नवाचार करने की कड़ी में भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास के लिये ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना’का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी और अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन, बोलना व संप्रेषण कौशल विकसित कर रोज़गार प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना है।
- भाषा के इल्म के साथ, इस योजना में नामांकित छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर 1500 रुपए मासिक अधिकतम कुल 4500 रुपए स्टाइपेंड 3 माह तक प्रदान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी ज़िला मुख्यालयों पर अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। अन्य विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की सुविधा संभाग स्तर पर उपलब्ध है।
- ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना’राजस्थान के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षित युवाओं की ओर लक्षित है, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है। पात्रता के लिये लाभार्थी के परिवार/अभिभावक की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपए तक अथवा उससे कम होना अनिवार्य है।
- अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना’अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को आधुनिक दुनिया में सशक्त और सफल बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विदेशी भाषा सीखने से उन्हें न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी बेहतर रोज़गार के अवसर मिलेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-minority-language-efficiency-and-communication-skills-development-scheme-